10

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 230/2021

जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, निवासी वार्ड नं0 17, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, मो0न0 8696973108

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 15.11.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.10.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 230/2021 पर दिनांक 27.10.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3468–69 दिनांक 27.10.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने पत्रांक आरटीआई/2021/17 दिनांक 02.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी डॉ0 जितेन्द्र सिंह निवासी सुलताना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2021 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1090 गैर मुमकीन नवा जोहड के संबंध मे सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/946 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा कार्यालय से भिजवाई गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/17 दिनांक 02.11.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी डॉ0 जितेन्द्र सिंह निवासी सुलताना का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2021 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1090 गैर मुमकीन नवा जोहड के संबंध मे सूचना चाही गई है। आवेदक को उक्त सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2021/946 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा कार्यालय से भिजवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं